पत्रांक–नजारत/अ०नि०प्र०सं०/सामान्य पत्राचार–ट्रान्जिट हॉस्टल/2022–23/1472/लखनऊ।

कार्यालय–अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
दिनांक :: लखनऊ :: 25 जनवरी, 2023.

समस्त आवंटी अध्यासी, ट्रान्जिट हॉस्टल,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

अवगत कराना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, 4–विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के परिसर में उपलब्ध ट्रान्जिट हॉस्टल में उपलब्ध समस्त 16–सुईट्स को दिनांक 09.02.2023 से दिनांक 12.02.2023 तक, जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 392 दिनांक 21.01.2023 के माध्यम से उक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित किया गया है।

अतएव आप सभी आवंटियो (जिनको प्रश्नगत ट्रान्जिट हॉस्टल में पूर्व से कक्ष आवंटित है) को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित सुईट्स/कक्षों को प्रत्येक दशा में दिनांक 07.02.2023 तक रिक्त कर दें एवं दिनांक 08.02.2023 से दिनांक 13.02.2023 तक ट्रान्जिट हॉस्टल के सुईट्स/कक्षों का आवंटन किसी भी विभागीय अधिकारी को नहीं किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को उनके पत्र संख्या 392 दिनांक 21.01.2023 के कम में।
2. आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (नजारत) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. उप निदेशक, कम्प्यूटर, रा०क०अ०प्र०सं० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति ट्रान्जिट हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

25/01/23
अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।